न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :–गितेश श्री मालवीय, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 19/2020 (राजसमन्द डिक्री)

दोहरान खां पिता अब्दुल जी पठान, निवासी राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द हाल जावर माईन्स, जिलाउदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द दिनांक 25.08.2020 प्रकरण संख्या 173/2016

———::———

उपस्थित (वक्त बहस):–1.श्री हर्षद जोशी अभिभाषक अपीलान्ट

2. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———:———

निर्णयदिनांक25–07–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया किग्राम राजनगर में स्थित मेवाड सेटलमेन्ट संवत् 1997 में दर्ज आराजी नंबर 1124 रकबा 9 बिस्वा भूमि हीरा पिता धन्ना माली के खातेदारी की थी, जिनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्रों उदा व गंगाराम के नाम संवत् 2010 से 2013 में अंकित हुई। उस वक्त उदा नाबालिग था, केवल गंगाराम ही बालिग होकर कर्ता खानदान व परिवार का मुखिया था। इसलिए गंगाराम ने उक्त आराजी नंबर 1124 को अन्य आराजी नंबर 1119 से 1122 के साथ कुल रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि दिनांक 26–08–1953 को शोहराब खां पिता एमदीजार खां पठान को रजिस्टर्ड विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया। उक्त भूमि का इंतकाल नंबर 59 दिनांक 27–08–1957 के समय शोहराब खां की मृत्यु हो चुकी थी इसलिए उनकी पत्नी एमनाबाई के नाम नामान्तरकरण खुला। एमनाबाई ने उक्त भूमि श्रीमती अफजल बेगम पति दोहराव खां पठान को रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 12–08–1983 से विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया। सेटलमेन्ट अथवा पटवारी की गलती से संवत् 2014 से 2017 की जमाबन्दी में इंतकाल संख्या 59 का अमल दरामद कर आराजी नंबर 1124 के अलावा अन्य आराजियात का भी इन्द्राज कर दिया व आ. नंबर 1124 को काट दिया, जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:12:18 IST
Reason: SelfAttested

गंगाराम द्वारा उक्त भूमि का विक्रय शोहराब खां को करने के बाद कब्जा शोहराब खां का ही रहा एवं उनकी मृत्यु के बाद एमनाबाई का तथा एमनाबाई द्वारा विक्रय करने के बाद अफजल बेगम का उक्त पांचों आराजियात पर कब्जा रहा तथा अफजल बेगम की मृत्यु होने के बाद उसका पति वारिस होने से उसके पति दोहराब खां वादी का चला आ रहा है। गत पैमाईश में उक्त आराजी नंबर 1124 रकबा 9 बिस्वा भूमि को नये सेटलमेन्ट में नवीन नंबर 1347 रकबा 153 बीघा 7 बिस्वा दर्ज किया गया और उसे चारागाह अंकित कर दिया गया, जबकि आराजी नंबर 1347 का गत पैमाईश आराजी नंबर 1135 रकबा 42 बीघा 18 बिस्वा ही था, जिसका रकबा 153 बीघा 7 बिस्वा बन ही नहीं सकता। इससे स्पष्ट है कि आराजी नंबर 1124 आराजी नंबर 1347 में समायोजित कर दी गयी, जबकि आराजी नंबर 1124 कभी भी चारागाह नहीं रही, न ही आज है। उक्त भूमि पर वादी का कब्जा अपने पूर्वाधिकारी के समय से लगभग 60 वर्षो से निरन्तर चला आ रहा है, किन्तु राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि चारागाह दर्ज हो जाने से प्रतिवादी वादी को कब्जा हटाने की धमकी देते हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वाद वर्णित आराजी नंबर 1124 का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी ने खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान आराजी नंबर 1347 गत सेटलमेन्ट की आराजी नंबर 1135 मीन से बनी है जो चारागाह थी एवं चारागाह है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में 8 तनकियां कायम की तथा दिनांक 25—08—2020 को वादी का वाद खारिज कर दिया,जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील दिनांक 19—10—2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट वक्त बहस निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र साबिक आराजी नंबर 1124 के वर्तमान नंबर 1347 को आराजी नंबर 1135 मी. को चारागाह मानते हुए निर्णय पारित किया है, जो विधि से सर्वथा विपरीत है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों से स्पष्ट है कि वर्तमान आराजी नंबर 1347 साबिक आराजी नंबर 1124 को सम्मिलित करते हुए बना है और आराजी नंबर 1124 कभी भी राजस्व अभिलेखों में चारागाह अंकित नहीं रही है। पैमााईश के दौरान

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:12:18 IST
Reason: SelfAttested

भू–प्रबन्ध अधिकारी को साबिक आराजी नंबर 1124 की किस्म चारागाह परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है, उन्हें सिर्फ पूर्व इन्द्राज को ही दोहराना होता है। अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों का कोई विवेचन नहीं किया है तथा तनकी नंबर 1 को छोड़कर शेष तनकियों पर कोई निर्णय पारित नहीं किया है, जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक तनकी एवं उन पर आयी साक्ष्यों का विवेचन कर निर्णय पारित करना चाहिए। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा अपीलान्ट/वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि विवादित आराजी नंबर 1124 शुरू से किस्म नाला दर्ज रही है, कभी भी अपीलान्ट के नाम दर्ज नहीं रही। वक्त विक्रय उदा नाबालिग होने से अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त विक्रय को गलत माना है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं निर्णय का अवलोकन करने पर पाया गया कि ''पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी संवत् 2010–2013 अनुसार ग्राम राजनगर का साबिक आराजी नंबर 1124 रकबा 09 बिस्वा किस्म नाला बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज रिकार्ड था एवं खातेदार उदा गंगाराम पिता हीरा माली के नाम पर भी अंकित था एवं जमाबन्दी संवत् 2014–2017 अनुसार ग्राम राजनगर का साबिक आराजी नंबर 1124 रकबा 9 बिस्वा किस्म नाला बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज रिकार्ड था एवं खातेदार उदा गंगाराम पिता हीरा माली के नाम पर भी अंकित था जिसको खातेदार के खाते में लिखकर काट रखा है एवं उक्त आराजी नंबर को नामान्तरकरण के दाखिले में भी लिखकर काट रखा है एवं जमाबन्दी संवत् 2018–2021 अनुसार ग्राम राजनगर का साबिक आराजी नंबर 1124 रकबा 9 बिस्वा किस्म नाला बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड था एवं खसरा पत्र संवत् 2021 अनुसार ग्राम राजनगर का वर्तमान खसरा नंगर 1347 साबिक आराजी नंबर 1135 मिन से बना है। साबिक आराजी न ंबर 1135 मिन भी चारागाह दर्ज था एवं वर्तमान आराजी नंबर 1347 भी चारागाह दर्ज रेकार्ड है। तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी उक्त तथ्यों की पुष्टि होती है एवं पेरोकार राज द्वारा प्रस्तत जवाब अनुसार भी ग्राम राजनगर के हाल खसरा नंबर 1347 चारागाह एवं गत खसरा नंबर 1135 चरनोट दर्ज थी जि[illegible] नहीं दिया जा सकता है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अनुसार [illegible] आराजी नंबर 1124 जिसके हाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:12:18 IST
Reason: SelfAttested

आराजी नंबर 1347 में विलय किया जाना बताया गया है इसकी पुष्टि दस्तावेजों से नहीं होती है एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार वादग्रस्त साबिक आराजी नंबर 1124 का जमाबन्दी में दोहराव हो रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त आराजी नंबर 1124 खातेदार की होने के संबंध में भी विरोधाभाष है।'' अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आठ तनकियात कायम की गई एवं तनकीवार विश्लेषण कर तनकियात में निर्णय किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी नंबर 1347 चारागाह दर्ज है एवं गत सेटलमेन्ट में आराजी नंबर चारागाह दर्शाया था एवं यह 1135 मिन नंबर से बनना जाहिर होता है। अपीलान्ट द्वारा अपील में कोई ऐसे नये तथ्य या दस्तावेज पेश नहीं किये जिससे अपील मेमों के कथनों की पुष्टि होती हो। अपीलान्ट यह साबित करने में असफल रहे कि आराजी नंबर 1347 की भूमि चारागाह नहीं होकर उसकी खातेदारी भूमि है। अतः अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य है।

फलस्वरूपअपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–08–2020यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।निर्णय आज दिनांक 25–07–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:12:18 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**गितेश श्री मालवीय, आर.ए.एस.** .....

दोहरान खां पिता अब्दुल जी पठान, निवासीबनाम**राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द राजसमन्द**

अपील नं.....**19 / 2020**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**राजसमन्द**.....मुकाम.....मुवर्खे.....**25**.....माह.....**08**.....**2020**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**25**.....माह.....**07**.....सन् **2023** रूबरू.....
व हाजरी.....**श्री हर्षद जोशी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री कमलेश चौहान**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.....**अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–08–2020 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ....**X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.....**X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**25**.....माह.....**07**.....**2023** को जारी किया गया।

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:12:18 IST
Reason: SelfAttested